



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

समृद्ध किसान
खुशहाल राजस्थान

धनतेरस पर किसानों को सौगात

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

किसानों को चतुर्थ किश्त की राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

18 अक्टूबर, 2025 | दोपहर 01:00 बजे | नदबई, भरतपुर

प्रति कृषक 1,000 रुपये की राशि

71.8 लाख किसानों को 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण

• पीएम किसान सम्मान निधि योजना के राज्य के पात्र लाभार्थियों को मिल रहे प्रतिवर्ष 6,000 के स्थान पर 9,000 रुपये

• किसान सम्मान निधि के तहत 21 माह में 8,386 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित

विचार बिन्दु

अभिलाषा सब दुःखों का मूल है। –बुद्ध

भरी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर धर्म का हवाला देकर जूता फेंकना, लाइलाज नफरती बीमारी का चरम प्रदर्शन है।

ए क सिरफिरे वकील ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर खुली अदालत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेक कर अपनी घृणा आधारित निकृष्ट सोच का भौंडा प्रदर्शन किया। सही सोच रखने वाले सभी भारतीयों ने इसकी व्यापक रूप से भर्त्सना की है। कुछ लोगों में सीजेआई द्वारा विष्णु की खंडित मूर्ति वाली याचिका में की गई मौखिक टिप्पणी से असहमति व्यक्त की है किंतु उन्होंने भी व बहुत से गणमान्य लोगों में इस घटना की तत्काल या कुछ देर से भर्त्सना जरूर की है। हां, कुछ उल्लु–जुल्लु बोलने वाले बड़बोले नेताओं व स्वघोषित धर्माधीशों की जवान पर जरूर ताला लगा रहा।

इस प्रकार की नफरती बीमारी तो इस घटना के काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके शुरुआती लक्षणों के रूप में, लोगों के समूहों द्वारा धार्मिक आधारों पर, छोटी–मोटी बातों पर आस्था पर चोट के बहानों, महज शक के आधार पर कमजोर वर्गों के लोगों को किसी अपराध का संदिग्ध मानकर उनको पकड़ना, पीटना, मारना शुरू किया हुआ था। यह संकेत थे कि देश में एक गटर विचारधारा सीवर लाइन में बह रही है। कुछ गुंडा टाड़र लोगों द्वारा, अनेक नामों वाले समूह बनाकर, समय–समय पर, मनमंजी से या आकाओं का आदेश मिलने पर सीवर का ढक्कन तोड़ कर बदबू लगातार, समाज में फैलाई जा रही थी।

लेकिन बड़ा प्रश्न तो यह है कि आखिर इस प्रकार की नफरती सोच, बिना डर–भय के गांव–मोहल्लों से बाहर निकल सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत तक कैसे पहुंची?

क्या समाज इस भयंकर बीमारी से व्यापक स्तर पर प्रसित हो चुका है? क्या इसका इलाज संभव नहीं रहा या शासन कमजोर है या जानबूझ कर शासक वर्ग शत्रुमुर्ग बने बैठा है? क्या सरकार से भिन्न कोई शक्ति इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित घटना की तत्काल या करने वाले हाथों को पीछे खींचती है? क्या शासक वर्गों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृति होते रहने में अपना हित रक्षने लग जाता है?

पीछे द्वारा कानून हाथ में लेकर, महज संदेह के आधार पर, संदिग्ध अपराधियों, गौ तत्करी में लगे लोगों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर, कमजोर समुदायों के लोगों को अत्यंत खरनाक ढंग से पीटा जाता है जिसमें जान जाने की पूर्ण संभावना होती है। ऐसे हमले सामूहिक रूप से मांब लीचिंग की श्रेणी में रखे जाते है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए है जिनमें पुलिस पीडितों पर ही केस दर्ज कर देती है। कई बार इस प्रकार की घटनाओं के होने में और इनकी तफसील में सांप्रदायिक भेदभाव दिखलाई देने लगता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (मुस्लिम, दलित, आदिवासी) इन घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

कुछ सामान्य अपराहों जिनमें इन प्रकार की घटनाएं होती है या जानबूझ कर की जाती है, वे हैं:– यथा अमुक व्यक्ति ने गौमांस खाया, अमुक–अमुक लोगों में गाय को मारकर उसकी हड्डियां अथवा मांस मंदिर में फेंक दिया और मांस खाया, इन–इन व्यक्तियों ने किसी धर्म विशेष की लडकियों को छेड़ दिया या कोई छोटी–मोटी बात को धार्मिक आस्था पर चोट से जोड़ देना, किसी के संबंध में लव जिहाद में लिप्त होने की आशंका व्यक्त कर देना, किसी महिला के डायन होने की अपवाह फैलाना, किसी पर बच्चा चोरी का सच्चा या झूठा आरोप लगाकर व अन्य इसी प्रकार की सैकड़ों अपराहों फैला कर पीड को उन्मादी बनाया जा सकता है।

कुछ उदाहरणों से बात कुछ ज्यादा आसानी से समझ आएगी। 2015 में मोहम्मद अख्ताक को घर में बीफ रखने के शक में भीड़ ने पीट–पीट कर मार डाला। उनाव व हाथरस की घटनाएं गरीब तबके की महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों की सरफ अवर्धिष्ठ रूप से संकेत थे किंतु की गई कार्यवाही, कानून के राज की अवधारणा के प्रति वि पैदा करने वाली नहीं दिखी। रोहित वेमुला की हत्या ने देश में संस्थाओं तक में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर बढते अपराधों की ओर असंदिग्ध रूप से इशारा था। यह अत्यंत लज्जाजनक है कि हेट क्राइम के लगभग 50% से अधिक पीडित मुस्लिम होते है और 5०% आदिवासी,दलित और हिंदू होते है।

एक ओर गंभीर प्रश्न सामने आया है --- यह जो मोबलिंगिग की घटना करने वाले समूह होते हैं इन की कोई भी बड़ा संगठन, जिसके नाम का उपयोग कर यह लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? बड़े संगठनों के पदाधिकारियों से कोई पूछे तो सीधा, त्वरित उतर होता है कि अमुक लोग उनके संगठन के सदस्य नहीं हैं?

अभी हाल ही में रायबरेली में एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकी की भीड़ ने पीट–पीटकर हत्या कर दी। यद्यपि इस मामले में 1० लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 पुलिसकर्मीयों की भी निर्लंबित कर दिया गया । अगस्त 2०25 में ही बरेली में एक नाबालिग बच्चे की पीट–पीट कर हत्या कर दी, महज चोरी के शक में।

कुछ पीछे जाएं तो, 2015 में दादरी यूपी में घर में बीफ रखने के संदेह पर मोहम्मद अख्ताक की हत्या हुई जिसमें 11 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है। 2०17 में अलवर में पहलू खान व 2०18 में रकबर खान और साधियों पर गो तत्करी

शक में हमला किया, पहलूखान को मार दिया, रकबर खान भी मर गया। गिरफ्तारियां जरूर हुईं। झारखंड में बच्चा कोरी के आरोप में असगर अंसारी की हत्या हुई। हापुड़ में चोरी के शक में 2०18 में ही कासिम कुरैशी की हत्या करदी गई। 2०19 में तबरेज अंसारी की मौत: चोरी शक में बेहदमी से पीटा; जब श्री राम बोलने को मजबूर किया। गनीमत थी कि वह बच गया। 202० में महाराष्ट्र के पालघर में चोर समूह कर तीन साधुओं की हत्या हुई। पुलिस में लगभग 1०0 लोगों को आरोपी बनाया है। 2०23 में नासिक के मॉरिर में केला, प्रसाद चुराने के शक में इशाक की हत्या। अगस्त 2०25 में ही बरेली में एक नाबालिग बच्चे की पीट–पीट कर हत्या कर दी, महज चोरी के शक में।

कई बार ऐसा लगने लगता है कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को कहीं से कुछ संरक्षण सा मिला हुआ है। यद्यपि सरकार इन सभी घटनाओं की त्वरित अथवा कुछ देर से निंदा करती है और दोगियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है किंतु यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकारें मांब लिंगिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफल भी नहीं हो रही है।

भारत में इस प्रकार की घटनाएं बढ रही है। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से अफवाहें शीघ्रता से फैलती भी है और इरादान फैलाई भी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मांब लिंगिंग के संबंध में स्पष्ट राय दी है कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार को सख्ती बढानी चाहिए।

पुराने अपराधिक कानून इंडियन पीनल कोड में हत्या का आरोप परिभाषित है और उसके अनुसार मोब लिंगिंग को हत्या माना है। नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 1०3 में मोबलिंगिंग को अलग से अपराध परिभाषित किया है और 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। पुराने कानून में हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी किंतु नए कानून में इसे 7 साल तक सीमित किया गया है।

क्या, संसद द्वारा, (इंडियन पीनल कोड के स्थान पर आया नया कानून) में संविधान के प्रावधानों के अनुसार ली गई शपथ का उल्लंघन को अपराध परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए?

किंतु यह प्रश्न तो है कि क्या यदि शासन–प्रशासन व मुख्यतः स्थानीय स्तर का कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण से जुड़े अधिकारी सदभावी प्रयास करें तो ऐसी वीषास घटनाओं पर काफी हद तक रोक नहीं लग सकती?? निःसंदेह, लग सकती है बशर्ते प्रयास सद्भावना से हो। प्रशासन के निचले स्तर पर, ऊपर के मंत्रियों आदि से अनावश्यक दबाव न हो।

भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची में केंद्र और राज्य के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा, मंत्री व संसद या विधायक या न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभालने से पहले ली जाने वाली शपथ का विवरण है। इन सभी शपथों के प्रारूप में एक वाक्यांश कॉमन है और वह है।”---that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India -----” अर्थात मंत्री, संसद आदि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, आस्था, राष्ट्र भक्ति रखेंगे, यह शपथ सबके सामने, खुले में ली जाती है।

क्या भारत के नागरिक के रूप में हमें यह पूछने और जानने का अधिकार नहीं है कि जो मंत्री, संसद, विधायक आदि इस पवित्र शपथ या बचन लेकर आए है और रात दिन खुल्लमखुल्ला संविधान की खिल्ली उड्राते है उन्हें क्यों नहीं अपने पदों से तत्काल बर्खास्त किया जाए? कम से कम मंत्रियों को तो बर्खास्त करने के लिए तो देश या प्रदेश के चुने हुए मुखियाओं को पूर्ण अधिकार है, तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? उत्तर भी बहुत साफ ---क्योंकि कुछ सिरफिरे सांसदों, मंत्रियों द्वारा ऐसा करने पर, संंबधित राजनीतिक दलों को वोट मिलते है। इसी कारण मोबलिंगिंग करने वाले समूहों, लोगों को विभिन्न राजनीतिक नेता, दल, संगठन फ्रिज एलिमेंट्स (छोटी संख्या में) कहकर, नफरती समस्या को कमतर करते है और यह ऐसे तत्वों की अपरोक्ष प्रोत्साहन का काम करते है।

एक ओर गंभीर प्रश्न सामने आया है– यह जो मोबलिंगिंग की घटना करने वाले समूह होते है इन की कोई भी बड़ा संगठन, जिसके नाम का उपयोग कर यह लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? बड़े संगठनों के पदाधिकारियों से कोई पूछे तो सीधा, त्वरित उतर होता है कि अमुक लोग उनके संगठन के सदस्य नहीं हैं? यह भी सामने आ रहा है कि बहुत से बड़े संगठनों की सदस्य सुविधाें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो रही हैं।

क्या सरकारों को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी समूह जो, सार्वजनिक हित के नाम पर, इस प्रकार की गतिविधियां करता हो, उसका सदस्यता रजिस्टर सरकार/कलेक्टर/एसपी के स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए। सदस्य सूची सार्वजनिक नहीं करने पर ऐसे समूह को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इस को अपराध परिभाषित किया जाना चाहिए।

कहीं चर्चा चल रही थी ---- हजार कानून बना लो, पालना करने वाली तो सरकार ही है न? अगर सरकार की मंशा इन्हें नियंत्रित करने की नहीं होगी तो कुछ नहीं होंगा और महीने, दो महीने के अंतरालों पर यह सब होता ही रहेगा। शासक वर्ग सदैव से जनता को यों ही मूख बनाते रहे है।

–अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

भारत आज एक एस दार स गुजर रहा है जहाँ एक ओर जनसंख्या वृद्धि

की गति धीमी हो रही है और दूसरी ओर जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। यह परिवर्तन सतही रूप से विकास का संकेत देता है, लेकिन इसके भीतर गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट छिपे हैं। यदि आने वाले 30–40 वर्षों में इस पर ठोस नीतिगत सुधार नहीं किए गए, तो यह चुनौती हमारे समाज और राष्ट्र की नींव को हिला सकती है।

महंगी चिकित्सा और निजी अस्पतालों का वर्चस्व

पिछले दो दशकों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण की तीव्र गति देखने को मिली है। एक ओर निजी अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर सेवाओं के साथ आधुनिक उपचार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनकी लागत आम नागरिक की पहुँच से बाहर होती जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत का स्वास्थ्य पर कुल व्यय जीडीपी का मात्र ३.28% है, जबकि विकासित देशों में यह औसतاً 8–10% तक रहता है। इसका सीधा परिणाम यह है कि सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भारी दबाव है, और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता लगातार गिर रही है।

निजी अस्पतालों में उपचार की लागत इतनी अधिक है कि यह एक 'खोग' का रूप ले चुका है। एक साधारण सर्जरी का खर्च लाखों रुपये तक पहुँच

जाता है। और यह भी देखा गया है कि अस्पताल अनावश्यक सर्जरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अनावश्यक दवा, परीक्षण, अस्पताल शुल्क और डॉक्टर की फीस जैसे अलग–अलग मदों में कुल खर्च कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को कर्ज और संपत्ति बेचने की मजबूरी तक ले जाती है। स्वास्थ्य, जो कि एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए, अब आर्थिक स्थिति पर निर्भर एक महंगी सेवा बन चुका है।

सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की विफलताएँ

सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू कीं, जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आदि। लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाओं से बहुत नीचे रहा। Longitudinal Ageing Study of India (LASI), 2०21 के आँकड़े स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं:–

75% से अधिक वृद्धजन कम से कम एक दीर्घकालिक बीमारी से ग्रसित हैं। 24% वृद्धजन को रोजमर्रा के कार्य करने में कठिनाई होती है। 48% वृद्धजन को बैंकिंग, खरीदारी, परिवहन जैसी गतिविधियों में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल 18% वृद्धजन किसी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। 78% वृद्धजन के पास पेंशन या किसी नियमित आय का साधन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, उपकरणों के खराबी और दवाओं की कमी आम समस्या है। अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य बजट इतना कम है कि न तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाती है और न ही बुनियादी ढाँचे का विकास।

नतीजतन, सरकारी योजनाएँ केवल कागज़ों में रह जाती हैं और बुजुर्गजन अपनी देखभाल के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली, 75% से अधिक वृद्धजन कम से कम एक दीर्घकालिक बीमारी से ग्रसित हैं। 24% वृद्धजन को रोजमर्रा के कार्य करने में कठिनाई होती है। 48% वृद्धजन को बैंकिंग, खरीदारी, परिवहन जैसी गतिविधियों में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल 18% वृद्धजन किसी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। 78% वृद्धजन के पास पेंशन या किसी नियमित आय का साधन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, उपकरणों के खराबी और दवाओं की कमी आम समस्या है। अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य बजट इतना कम है कि न तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाती है और न ही बुनियादी ढाँचे का विकास।

नतीजतन, सरकारी योजनाएँ केवल कागज़ों में रह जाती हैं और बुजुर्गजन अपनी देखभाल के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली,

संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार के लिए पलायन के कारण यह सहयोग भी लगातार घटता जा रहा है।

वृद्धावस्था में बुनियादी सुविधाओं का अभाव

स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा वृद्धावस्था में जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी गंभीर चुनौतियाँ हैं।

1. **आवास और सुरक्षा:** वृद्धजनों के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास की भारी कमी है। शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रम तो हैं, लेकिन उनकी मूलभूत व्यवस्थाओं में भारी कमियाँ हैं और उनकी संख्या जरूरत से बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं का लगभग अभाव है।

2. **होम केयर सेवाओं की अनुपलब्धता:**

जिन वृद्धजनों के परिवार उनके पास नहीं रहते, उन्हें नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और दैनिक देखभाल जैसी सेवाओं की जरूरत होती है। लेकिन ये सेवाएँ महंगी हैं और अधिकांशतः निजी संस्थानों एवं चुनिंदा शहरों तक ही सीमित हैं।

3. **मानसिक स्वास्थ्य संकट:** अकेलापन, अवसाद और डिमेंशिया जैसी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। फिर भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ वृद्धजनों के लिए लगभग नगण्य हैं।

4. **आर्थिक असुरक्षा:** इलाज, दवाओं और परिवहन पर होने वाला खर्च अधिकांश वृद्धजनों के लिए असहनीय है। बीमा कवरेज की कमी, बीमा के बारे में जानकारी का अभाव, बीमा कंपनियों द्वारा उचित दावों की भी खारिज किये जाने का डर और पेंशन व्यवस्था के कमजोर होने के कारण परिवारों को आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ता है।

तेजी से बढ़ती वृद्धजन आबादी

भारत में वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि दर बेहद तेज है। SRS., 2०23 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 9.7% हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। UNFPA की रिपोर्ट का अनुमान

है कि 2050 तक यह अनुपात 20% से अधिक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आने वाले 25 वर्षों में हर पाँच में से एक भारतीय बुजुर्ग होगा।

इस परिवर्तन के गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होंगे:–

कार्यशील जनसंख्या पर Dependency Ratio बढ़ जाएगा।

युवा पीढ़ी पर वृद्धजनों की देखभाल का बोझ असहनीय हो सकता है।

अर्थव्यवस्था पर पेंशन, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं के लिए भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। पारिवारिक और सांस्कृतिक संरचना कमजोर होगी।

हिंदू समाज के संदर्भ में यह चुनौती और गंभीर है। परंपरागत रूप से वृद्धजन परिवार के मार्गदर्शक और संस्कार वाहक रहे हैं। लेकिन जब उनकी देखभाल का बोझ परिवार की क्षमता से अधिक हो जाएगा, तो यह पीढ़ियों के बीच संवाद और आत्मीयता को कमजोर कर देगा।

आने वाले 3०–4० वर्षों की भयावह तस्वीर

यदि मौजूदा स्थिति पर तुरंत काम नहीं हुआ, तो भविष्य का परिदृश्य बेहद चिंताजनक होगा। अस्पताल और स्वास्थ्य तंत्र वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को संभाल नहीं पाएंगे। लाखों परिवार कर्ज में डूबेंगे और अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर होंगे। वृद्धाश्रमों और देखभाल केंद्रों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। युवा कार्यबल की कमी से अर्थव्यवस्था धीमी होगी और कर प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा। सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक परंपराएँ और पारिवारिक मूल्य गहराई से प्रभावित होंगे।

नीति सुधार की दिशा

इस संकट से बचने के लिए केवल आलोचना पर्याप्त नहीं है। ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे।

1. **स्वास्थ्य बजट में वृद्धि:** भारत को अपने स्वास्थ्य बजट को कम से कम 5% जीडीपी तक बढ़ाना होगा। प्रत्येक जिले में जिराटिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमें तैनात हों।

हमारी पहचान, भारतीय भाषा, वेशभूषा एवं भोजन



प्रो.कैलाश सोडानी

किसी भी व्यक्ति की पहचान बहुत ही सहजता के साथ भाषा, वेशभूषा एवं भोजन से हो जाती है। व्यक्ति की नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता जानने के लिए यही देखा जाएगा कि वह किस भाषा में संवाद कर रहा है? व्यक्ति की पहचान के

लिए यह बहिया मापदंड हैं। 75 वर्ष की आजादी को भोगने के बादबुद्ध भी मेरे देश का नागरिक भाषा, वेषभूषा एवं भोजन का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी ऐतिहासिक एवं गौरवशाली पहचान को कमजोर कर रहे हैं। सैकड़ो वर्षों की गुलामी ने हमारी सोच एवं मानसिकता को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी में भाषण देने वालों को हम आज भी भारी विद्वान समझते हैं। हिन्दी, पंजाबी या तमिल में बातचीत करने वालों को हमने दूसरे दर्जे का नागरिक मान लिया। अंग्रेजी गर्व का विषय हो गयी। आज भी 3 प्रति.अंग्रेजी की नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता जानने के लिए यही देखा जाएगा कि वह किस भाषा में संवाद कर रहा है? व्यक्ति की पहचान के

स्वीकार कर लेना चाहिये कि मातृभाषा अर्थात् हिन्दी ही हमारे विकास का राजमार्ग है। हमारी उसी कमजोर सोच के कारण विदेशी वेशभूषा अर्थात् कोट–पेन्ट–टाई वाले हमें बड़े एवं प्रतिष्ठित महानुभाव दिखाई देते हैं। भारत में सभी उच्च शिक्षित वर्ग यथा न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर सभी भारतीय वेषभूषा को तिलांजली दे चुके हैं। 45 डिग्री टेम्प्रेचर में भी आधुनिक बुद्धिजीवी असुविधाजनक होते हुए भी कोट एवं टाई में ही दिखाई देमा। केवल मात्र राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले सज्जन ही भारतीय वेशभूषा का उपयोग कर रहे हैं। वेशभूषा का निर्धारण जलवायु, संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक संरचना के आधार पर होता है।

आधुनिकता के मर पर लड़कियों में बहुत ही फूहड़ ड्रेसेस लोकप्रिय होती जा रही है, जो लगत हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक एवं सामजिक मूल्यों में

गिरावट आ रही है, इसे रोकना होगा। भाषा एवं वेशभूषा के साथ–साथ भोजन के मामले में भी देश में आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य भोजन तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। पिज्जा–बर्गर–मगी सम्मान के प्रतीक बन गये हैं। आजकल की युवा पीढी को 1० रूपये की कचोरी समोसे की तुलना में 400 रूपये का पिज्जा ज्यादा पसन्द आ रहा है। भारतीय अवधारणा के प्रति कमजोर मानसिकता को विज्ञापनों के माध्यम से लगातार कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। हमें सावधान रहना होगा। भोजन में भोज्य सामग्री के साथ–साथ भोजन कब और कैसे करना भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक आधार पर पालथी लगाकर भोजन ग्रहण करना ही श्रेष्ठ माना गया है। पाश्चात्य सोच ने हमें खड़े खड़े, घुसते हुए भोजन करना सीखा दिया। यह जानते हुए कि खड़े–बैठे भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, फिर भी नकल करने में हमें मजा आ रहा है। सौभाग्य से आज भी

संसद और सडक की भाषा, वेशभूषा और भोजन भारतीय ही है। संसद में बैठने वाला राजनेता, अयोध्या एवं उज्जैन के धर्माचार्य तथा सडक पर चलने वाला आम नागरिक हिन्दी में ही बात करता है, भारतीय पहनावे एवं भोजन में ही विश्वास करता है। दुर्भाग्य से देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसकी सम्पूर्ण समाज को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है वह स्वयं ही भटक रहा है। पाश्चात्य सोच का शिकार हो रहा है। कहीं न कहीं यह हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की कमजोरी है जो बच्चों में राष्ट्रीय भाव जागृत करने में असफल रही है। सौभाग्य से नई शिक्षा–नीति 2०2० में देश के गौरवशाली पुरातन एवं संस्कृति को आवश्यक महत्व प्रदान किया है। मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यथा शीघ्र गर्व के साथ भारतीय भाषा, वेशभूषा एवं भोजन को अंगीकार करना होगा।

–प्रो.कैलाश सोडानी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विवि, कोटा

वर्षों पुराना विवाद हुआ खत्म–जिला कलक्टर की पहल से बनी आपसी सहमति

ग्रामीण सेवा शिविर बना सौहार्द और समाधान का मंच, ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर अब गांवों में समाधान और सौहार्द के प्रतीक बनते जा रहे हैं।

शिविर में वर्षों पुराना विवाद सुलझा–
झालावाड़ जिले की सुनेल

पंचायत समिति स्थित सोयला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। यहां रमशान भूमि को लेकर राजपूत समाज के दो पक्षों के बीच लगभग दो वर्षों से विवाद चल रहा था।

जिला कलक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के शिविर में पहुंचने पर यह मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बड़े

धैर्य और संवेदनशीलता से सुनी और आपसी सहमति से समाधान का मार्ग सुझाया।

परिणामस्वरूप, सज्जनसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी सोयला द्वारा ०.0253 हेक्टेयर भूमि समर्पण करने की सहमति दी गई। इस प्रकार वर्षों पुराना विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया।

आपसी सौहार्द का संदेश–

विवाद निस्तारण के बाद जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों के लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त होने पर प्रशासन के प्रति आभार जताया।

ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के शिविर वास्तव में गांवों में न्याय और विकास की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल

शर्मा का उनकी दूरदर्शी सोच के लिए आभार प्रकट किया, जिससे गांव और ढाणी में भी सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना और शिकायत समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उनके प्रयासों से गांव–गांव में शांति और समाधान का वातावरण बन रहा है।

–हेमन्त छीपा,

जनसंपर्क अधिकारी, झालावाड़

मेघ	
	
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आज व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।	

सिंह	
	
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मोनोबल–आनंदविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।	

धनु	
	
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आवासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

वृष	
	
घर–परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

कन्या	
	
आर्थिक/वित्तीय मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हाथि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।	

मकर	
	
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।	

मिथुन	
	
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये–पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

तुला

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

दीपावली पर रोशनी व सजावट पर चर्चा, मिलावटखोरों पर कार्रवाई करें : वृष्णि

बीकानेर, (कासं)। दीपावली की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, मेडिकल फैसिलिटी, सड़क मरम्मत, विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग, बिजली की सुचारू व्यवस्था, साफ-सफाई, रोशनी, सजावट, फायर ब्रिगेड व्यवस्था, फूड सेफ्टी, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

बैठक में एडिशनल एसपी सिटी श्री सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर कानून व्यवस्था को लेकर शहर में दो पारियों सुबह 8 से शाम 6 बजे और शाम 6 से सुबह 8 बजे तक में करीब 450 का पुलिस जाता तैनात रहेगा। धार्मिक स्थानों पर पैदल गश्त और मोबाइल पारटियों को गश्त रहेगी। करीब 150 पुलिसकर्मों ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। तिवाड़ी ने बताया कि केईएम रोड पर इस बार बाहर से आने वाले छोटे व्यापारियों को दुकानों के आगे सड़क पर सामान रखकर बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सड़क पर सामान बेचने की अनुमति पब्लिक पार्क गेट से जुनागढ़ तक और पब्लिक पार्क गेट से सादुल सिंह सर्किल तक दी जायेगी। बैठक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेश निर्वाण ने बताया कि इस बार सादुल स्कूल, फोर्ट स्कूल व रतन बिहारी पार्क में पार्किंग की व्यवस्था की



बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने दीपावली पर व्यस्थाओं को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

गई है। फोर्ट स्कूल से लगता राजीव मार्ग तीन दिन तक खाली रखा जायेगा, यहां पार्किंग अनुमति नहीं होगी। शहर में कुल 33 स्थानों पर बैरिकेडिंग के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा गया है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है।

बैठक में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि बीकानेर व चूरू के 100 मंदिरों एवं प्रत्यास मंदिरों में विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की सहभागिता से मंदिरों में सामूहिक दीप प्रज्वलन, विद्युत लाइटिंग से मंदिरों को सजाने, मिट्टी से निर्मित गणेश एवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन, मंदिरों में भक्ति

संगीत, कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और दीपावली की रात्रि को विशेष महाआरती होगी। गोवर्धन पूजा के दिन अननकूट का प्रसाद बनाकर वितरित किया जायेगा।

डीटीओ भारती नथानी ने बताया कि परिवहन विभाग शुक्रवार से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलायेगा। इमरजेंसी गेट बंद होने, छतों पर सामान ढोने इत्यादि को लेकर पिछले दो दिनों में जिले में 9 बसों सीज की है। डीएसओ

नरेश शर्मा ने बताया कि 13 से 20 अक्टूबर तक कंज्यूमर केयर अभियान चल रहा है। 13 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बैठक में बीडीए कमिश्नर अर्पणा गुप्ता ने बताया कि पब्लिक पार्क और कलेक्ट्रेट की सजावट

बीडीए के द्वारा करवाई जा रही है। इसके अलावा जयपुर रोड़ समेत विभिन्न सड़कों को भी सजाया जा रहा है। निगम कमिश्नर मयंक मनीष ने बताया कि निगम और बीडीए मिलकर शहर में लाइटिंग और सजावट का कार्य करवाया जा रहा है। ओवरब्रिज, गंगाशहर इत्यादि जगहों पर निगम द्वारा लाइटिंग और सजावट की जा रही है।

बैठक में जिला कलेक्टर ने बिजली की निर्बाध व्यवस्था रखने, अस्पतालों में पर्याप्त स्टॉक तैनात रखने, तुड़ी स्टॉक को कवर रखने और पास ही टैंकर की व्यवस्था रखने, बैंकों को एटीएम में पर्याप्त कैश की व्यवस्था करने, डेयरी द्वारा पर्याप्त दूध, घी

धानमंत्री में अतिक्रमण से परेशान

सादुलशहर, (निर्सं)। नई और पुरानी धान मंडी के दुकानदारों (आदत की दुकानों को छोड़कर) ने मंडी समिति सचिव हीना रानी को एक मांग पत्र सौंपा है। इसमें धान मंडी की सफाई व्यवस्था में सुधार करने और दुकानों के बाहर पड़े सामान को निर्धारित सीमा में व्यवस्थित करवाने की मांग की गई है। दुकानदारों ने सचिव को बताया कि दुकानों के बाहर पड़े सामान के कारण यातायात व्यवस्था बाधित होती है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार लम्बे जाम भी लग जाते हैं। दुकानदारों ने मंडी समिति सचिव हीना रानी और सहायक सचिव बलदेव सिंह राठौड़ के साथ मंडी की अन्य व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर भी विचार-विमर्श किया। पस पर समिति सचिव हीना रानी ने आवासन दिया कि समस्त धान मंडी की सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए जायेंगे।

गैंगस्टर की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के पीछे पड़ेगी। इनकी संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायेगी। इन लोगों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और अब इनकी गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने अपने कार्यालय में चारों जिलों के एसपी की मीटिंग ली।

इस दौरान निर्देश दिए कि गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाई करें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए। को एक्सीडेंट रोकने पर प्राथमिकता से काम करने के लिए कहा गया। इसके अलावा नए कानून पर भी चर्चा की गई। आईजी ने धरना- प्रदर्शन के दौरान पुलिस को सख्ती बरतने, लेकिन

गांव कालियां की बेटी दीक्षा पहले ही प्रयास में आरएएस बनी

दीक्षा ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल अध्ययन के लिए किया

से जयपुर से कोचिंग लेकर पूरी मेहनत से तैयारी की। वे प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती थी और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती थी। उन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल अध्ययन के लिए किया। दीक्षा ने कहा कि उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई गुरुनानक गर्ल्स सैनियर सेकेंडरी स्कूल और गुरुनानक पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर से

उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन पत्र मांगे

बीकानेर, (कासं)। रसद विभाग ने जिले भर की कुल 92 रिक्त और नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीकानेर शहर व ग्रामीण में रिक्त एवं नवसृजित सहित कुल 47 और जिले के तहसील क्षेत्र श्रीदुर्गरागढ़, नोखा, लूणकरनसर, छतरगढ़, पूगल, बज्जू, खाजुवाला, कोलायत एवं नगर पालिका क्षेत्र लूणकरनसर एवं श्रीदुर्गरागढ़ में कुल 45 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों से प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु सख्कृत आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि जिले में रिक्त एवं नवसृजित 92 उचित मूल्य दुकानों में से बीकानेर शहर और ग्रामीण के अंतर्गत 47 उचित मूल्य दुकानें हैं जिनमें बीकानेर शहर में 36 रिक्त दुकानें हैं जो वार्ड में 02, 09, 10, 22,24,25,25,11,17,14,10, 13, 26, 20, 42, 43, 45, 34, 38,39,39,39,5031,32,41, 52, 55, 53, 53, 54, 47, 53, 48, 41 में स्थित हैं। इसी प्रकार बीकानेर ग्रामीणी की कुल 11 उचित मूल्य दुकानें हैं जिनमें लाखुसर, बौछवाल, नाल बड़ी, किलचू, गैरसर, खारा, रामसर, नौरंगदेसर, मूंडसर, कतरियासर और खारड़ा गांव में एक-एक दुकान शामिल है। उक्त रिक्तियों में संशोधन किया जा सकता है।

सार-समाचार

खाता बही पूजन कार्यशाला



जैन संस्कार विधि से दीपावली एवं खाता-बही पूजन करने की जानकारी दी।

बीकानेर, (कासं)। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद गंगाशहर द्वारा जैन संस्कार विधि से दीपावली एवं खाता बही पूजन कार्यशाला का आयोजन 17 अक्टूबर को दोपहर 02:00 बजे तेरापंथ भवन गंगाशहर, उग्रविहारी तपोभू्ति मुनिकमल कुमार के सानिध्य में किया गया। तेयुप मंत्री मांगीलाल बोधरा ने बताया कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में जैन संस्कारक धर्मेन्द्र डकालिया, पवन छाजेड, रतन लाल छलाणी, विपिन बोधरा और देवेन्द्र डागा ने जैन संस्कार विधि से जैन मंत्रोच्चार द्वारा दीपावली पूजन कैसे किया जाए और मंगल भावना यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ डेमो के माध्यम से दीपावली एवं खाता बही पूजन की विधि संपन्न करवाई। इस अवसर पर तेयुप गंगाशहर अध्यक्ष ललित राखेचा और सभी गणमान्य जनों ने अंकुर लूणिया का जैन पताका के साथ सम्मान किया।

डीएलएड प्रथम वर्ष का परिणाम जारी



शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने डीएलएड की प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम जारी किया।

बीकानेर, (कासं)। माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विषवीय डिप्लोमा (डीएलएड) की प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जारी किया। शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय के पंजीयक नरेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि डीएलएड की प्रथम वर्ष परीक्षा 2025 का आयोजन 18 से 29 अगस्त तक किया गया था। इस परीक्षा में शामिल कुल 24 हजार 594 परीक्षार्थियों का परिणाम जारी किया गया है। इसमें से 22 हजार 999 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं तथा 1 हजार 288 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रोक्त श्रेणी में रहा। वहीं 307 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम स्वयं की लॉगिन आईडी से डीएलएड एजाम पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इस दौरान कार्यालय के सहायक निदेशक अरविन्द शर्मा, सहायक निदेशक महेश कुमार सुथार और सहायक निदेशक दिनेश कुमार आचार्य मौजूद थे।

एमएसपी पर कपास खरीद का श्रीगणेश

हनुमानगढ़, भारतीय कपास निगम और स्थानीय कॉटन फैक्ट्री संचालकों के बीच रेट को लेकर चल रहा झोल खत्म होने के बाद अब किसानों को राहत मिली है। विवाद खत्म होने के बाद जंक्शन मंडी में एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू कर दी गई। इससे किसानों को अब समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा। पूर्व में एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों को पांच सौ से सात सौ रुपये प्रति बिन्टल का नुकसान हो रहा था। कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर नरमा की खरीद प्रारंभ कर दी गई। जिसमें पहले दिन 12 एमओडी के किसान बलबीर राम पुनिया का लगभग 30 बिन्टल नरमा क्रियय के लिए आया। जिसे समर्थन मूल्य 7860 रुपये प्रति बिन्टल के हिसाब से खरीदा गया।
केंद्रीय कपास निगम की टीम ने मंडी में आई ढेरियों का निरीक्षण भी किया। मंडी समिति के सचिव विष्णुलाल शर्मा ने किसानों को मिठाइयां खिलाकर कपास की सरकारी खरीद का श्रीगणेश करवाया। किसान बलबीर राम पुनिया एवं व्यापारी महेंद्र मित्तल दोनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ की गई। इस अवसर पर कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक देवीलाल कावला, व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलवीर सिंह, व्यापारी नितिन गोयल,

राजस्थान सटरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)		क्रमांक : नियम/2025/4428	सार्वजनिक आपत्ति सूचना	दिनांक :
सर्व स्याणा को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि कृषि युमि क्षेत्र में शिविरों मुख्याद कले चक 5 ई छोटी भुय्या नं. 18 के किला नं. 13 में मुख्याद संख्या का माप 10 "0 "मेगा 57 "6 "घंटे के नियम/एट्टरटु हनु अवदेक श्रीमती मोहन नारा बरत पुन 40 कठोरी रास निमिती 32 बिबिधलियायें, चक 7 ई छोटी, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर निमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वीगित मुख्याद के आवदेक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी/रखवे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति माप सवत आगीत सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर- अन्दर न्यास कार्यालय में करारा 17 में प्रस्तुत कर सकन। हे अन्वया बाद निमाद गुजरने अखी के उपरान्त आवदेक श्री मोहन नारा बरत पुन 40 कठोरी रास निमिती 32 बिबिधलियायें, चक 7 ई छोटी, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर चक 5 ई छोटी भुय्या नं. 18 के किला नं. 11 में मुख्याद संख्या का माप 10 "0 "मेगा 57 "6 "घंटे का नियम/एट्टरटु जारी कर दिया जायें। यदि अनु वीगित क्षेत्र का पूर्व में नियम/एट्टरटु जारी होना पाया गयो तो वतमान पट्टा रखा:- हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होग। -सचिव नगर विकास न्यास, भीमगंगनगर				

राजस्थान सटरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, भीमगंगानगर (राज.)	क्रमांक : नियम/2025/RajKaj Ref No.: 18342294	सार्वजनिक आपत्ति सूचना	दिनांक : 16-10-2025
सर्व स्याणा को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि कृषि युमि क्षेत्र में शिविरों मुख्याद कले चक 7 ई छोटी भुय्या नं. 64 के किला नं. 17 में मुख्याद संख्या का माप 15 "गा 50 "घंटे के नियम/एट्टरटु हनु अवदेक श्रीमती विमला पुनी विमनल निमिती बार्ड नं. 13 30 जीती भुयावद, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर इनके मुख्याद का निमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वीगित मुख्याद के आवदेक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी/रखवे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति माप सवत आगीत सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर- अन्दर न्यास कार्यालय में करारा 17 में प्रस्तुत कर सकन। हे अन्वया बाद निमाद गुजरने अखी के उपरान्त आवदेक श्री मोहन नारा बरत पुन 40 कठोरी रास निमिती 32 बिबिधलियायें, चक 7 ई छोटी, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर चक 7 ई छोटी भुय्या नं. 18 के किला नं. 3, 6 में मुख्याद संख्या का माप 10 "गा 65 "घंटे का नियम/एट्टरटु जारी कर दिया जायें। यदि अनु वीगित क्षेत्र का पूर्व में नियम/एट्टरटु जारी होना पाया गयो तो वतमान पट्टा रखा:- हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18342294			
		आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन निमनुकरतु हेतु प्रस्ताव दरतावजी का निमन	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

राजस्थान सटरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, भीमगंगनगर (राज.)	क्रमांक : नियम/2025/RajKaj Ref No.: 18342827	सार्वजनिक आपत्ति सूचना	दिनांक : 16-10-2025
सर्व स्याणा को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि कृषि युमि क्षेत्र में शिविरों मुख्याद कले चक 11 छोटी भुय्या नं. 64 के किला नं. 17 में मुख्याद संख्या का माप 15 "गा 50 "घंटे के नियम/एट्टरटु हनु अवदेक श्रीमती विमला पुनी विमनल निमिती बार्ड नं. 13 30 जीती भुयावद, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर इनके मुख्याद का निमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वीगित मुख्याद के आवदेक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी/रखवे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति माप सवत आगीत सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर- अन्दर न्यास कार्यालय में करारा 17 में प्रस्तुत कर सकन। हे अन्वया बाद निमाद गुजरने अखी के उपरान्त आवदेक श्रीमती विमला पुनी विमनल निमिती बार्ड नं. 13 30 जीती भुयावद, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर चक 11 छोटी भुय्या नं. 64 के किला नं. 17 में मुख्याद संख्या का माप 15 "गा 50 "घंटे का नियम/एट्टरटु जारी कर दिया जायें। यदि अनु वीगित क्षेत्र का पूर्व में नियम/एट्टरटु जारी होना पाया गयो तो वतमान पट्टा रखा:- हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18342294			

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

car Collector Office, Bikaner (Rajasthan) Fax: 91-51-22226012, Phone: 91-51-22226012, 91-51-2222-2226012

E-Mail: carcollector@bikaner.vardhika.gov.in or WebSite : www.urban.rajasthan.gov.in / bikaner.vardhika.gov.in

न्यास - बीकानेर, बीकानेर (राजस्थान) फोन: 91-51-22226012, 91-51-2222-2226012 ई-मेल: carcollector@bikaner.vardhika.gov.in या WebSite: www.urban.rajasthan.gov.in / bikaner.vardhika.gov.in

ई - विड सूचना 2025/1-I-II-NA-2025-26

दिनांक - 13/10/2025

बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से अधिलेख भारतीय स्टूर, न्यास एफ राजन, न्यास ए

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)			
क्रमांक : नियम/2025/4428		सार्वजनिक आपत्ति सूचना	दिनांक : 17/10/2025
सर्व स्याणा को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि की हरित कृषि क्षेत्र में शिविरों मुख्याद कले चक 11 छोटी भुय्या नं. 18 के किला नं. 3, 6 में मुख्याद संख्या का माप 20 "गा 65 "घंटे के नियम/एट्टरटु हनु अवदेक श्रीमती मोहन नारा बरत पुन 40 कठोरी रास निमिती 32 बिबिधलियायें, चक 7 ई छोटी, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर इनके मुख्याद का निमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वीगित मुख्याद के आवदेक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी/रखवे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति माप सवत आगीत सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर- अन्दर न्यास कार्यालय में करारा 17 में प्रस्तुत कर सक। हे अन्वया बाद निमाद गुजरने अखी के उपरान्त आवदेक श्रीमती विमला पुनी विमनल निमिती बार्ड नं. 13 30 जीती भुयावद, भीमगंगनार द्वारा प्रस्तुत दरतावजी के आधार पर चक 11 छोटी भुय्या नं. 64 के किला नं. 17 में मुख्याद संख्या का माप 15 "गा 50 "घंटे का नियम/एट्टरटु जारी कर दिया जायें। यदि अनु वीगित क्षेत्र का पूर्व में नियम/एट्टरटु जारी होना पाया गयो तो वतमान पट्टा रखा:- हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18342294			
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन	न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।	हे निरस्त माना जायेगा। न्यास किती भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दरतावजी का निमन			

बीकानेर, (कासं)। नए जमाने की हवा भले ही पुराने रीति-रिवाजों को पीछे छोड़ने पर उतारू हो, लेकिन आज भी मिट्टी के दीपक की लौ के आगे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की चकाचौंध फीकी ही होती है। दीपों के पर्व पर इलेक्ट्रिक मोमबत्ती, दीपक व झालरों की भरमार और खरीदारों को होड़ लगी रहे, लेकिन लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दीपक का ही महत्व माना जाता है। दीपक की रोशनी के बिना दीपावली की पूजा संपन्न नहीं होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में दीपावली, शदी, धार्मिक कार्य या अन्य त्योहार व पूजन कार्य कुम्हारों को चाक और बर्तनों के बिना पूरे नहीं होते हैं। इन दिनों कुम्हार बिक्की के लिए अलग-अलग बैरियटी के दीपक तैयार

लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दीपक का ही महत्व माना जाता है, इसके बिना पूजा अधूरी

करने में लगे हैं। कुम्हारों के अनुसार होलसेल में करीब दो सौ रूपए सेंकड़ा में दीये बेचे जाते हैं और बाजार में ग्राहकों को दो से अढ़ाई रूपए में एक दीपक मिलता है। ठुकरियासर के शास्त्री प्रेम सारस्वत बताते हैं कि मिट्टी का दीपक पांच तत्वों से मिलकर बनता है। इसकी तुलना मानव शरीर से की जाती है। पानी, आग, मिट्टी, हवा तथा आकाश तत्व ही मनुष्य व मिट्टी के दीपक में समाहित हैं।

फरार 4 स्थायी वारंटी गिरफ्तार

रामसिंहपुर, (कासं)। बीकानेर रेंज आइजी हेमंत शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर रामसिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घोखाघड़ी, आमर्स एक्ट सहित अन्य मामलों में फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

थानाधिकारी अजय कुमार के सुपरविजन मे गठित पुलिस टीम ने इन वारंटियों को पकड़ा। कार्रवाई में हैड कंस्टेबल गुलाब सिंह, कंस्टेबल सुदेश कुकणा और सुखराम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का यह अभियान फरार अपराधियों को धरपकड़ के लिए चलाए जा रहा है।

श्रीगंगानगर, (कासं)। गांव कालियां निवासी दीक्षा लोहिया ने पहले ही प्रयास में आरएएस की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का नाम रोशन किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (आरएएस) परीक्षा 2023 का फाइनल परीक्षा-परिणाम घोषित किया गया। इस परिणाम में जिले के कई होनहार विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है। इन विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता दिलाई है। दीक्षा लोहिया (24 वर्षीय) पुत्री मुकेश लोहिया ने बताया कि आरएएस की पढ़ाई घर से ऑनलाइन के माध्यम

महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद आर्थिक

उपाजन करना जरूरी : दीप्ति कश्यप

बीकानेर, (कासं)। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉ. अनुराधा सक्सेना ने बताया कि बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजनागत बालिकाओं के लिए फाइनैशियल लिटरेसी पर व्याख्यान कार्यशाला एवं दिवाली के अवसर पर दीया व थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य दीप्ति कश्यप ने महिला सर्वाधिकरण में आर्थिक पक्ष के महत्व को समझाते हुए बताया कि कार्यशाला में केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं बल्कि उन कलाओं को सीखकर आर्थिक उपार्जन करना भी आवश्यक है। पर्यवेक्षक रश्मि कल्ला ने महिला



फाइनैशियल लिटरेसी पर आयोजित कार्यशाला में दिवाली के अवसर पर दीया व थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अधिकारिता द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के साथ अमृता हॉट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह

अनुदान योजना के बारे में समझाया तथा कहा कि यदि एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुदृढ़ है,

तो सशक्तिकरण के अन्य क्षेत्र स्वतः ही मजबूत होंगे। पन्नाधाय सुरक्षा सलाह केन्द्र की केन्द्र प्रबंधक कविता हुकट

फाइनैशियल लिटरेसी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

द्वारा केन्द्र के संचालन का उद्देश्य और महत्व बताते हुए कहा गया कि महिलाओं को आर्थिक और राजनैतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र और सशक्त होना चाहिए। सखी केन्द्र के प्रबंधक संतोष बारिया द्वारा सखी केन्द्र से मिलने वाली सभी सुविधाओं व घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताया। सखी केन्द्र द्वितीय के प्रबंधक सरिता गोदारा द्वारा महिलाओं से जुड़े कानूनों और अभियानों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली द्वारा प्रवर्तित तेरे मेरे सपने के काउंसलिंग सिस्टम को समझाया गया।

	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN SUJANGARH	
No: 1591-1606		Date: 13/10/2075
Notice Inviting Bid No 14/2025-26		
Bids for 2 (Two) Nos work are invited from interested bidders upto 06.00 PM dated 30.10.2025 other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in/http://sppp.raj.nic.in) of the state and PWD website. The approximate value of the procurement is Rs. 184.35 Lacs		
NIB No. PWD2526A3827 UBN No. 1. PWD2526WSOB14566, 2. PWD2526WSOB14568		
DIPR/C/15500/2025		Executive Engineer PWD Dn. Sujangarh

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड प्रथम सांचौर
 क्रमांक: रत्ना/निविदा/2025-26/1033 दिनांक: 15. 10. 2025

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

राजस्थान के राजस्थान की ओर से विभिन्न कार्यों के लिये अग्रोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राज्य सरकार के संयुक्त आदेशों के अनुसार नियमानुसार उपस्थित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा आमन्त्रित की जाती है निविदा में वर्णित 1 कार्य हेतु निविदा ऑनलाईन आमन्त्रित की जाती है। जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हो, ए.पी. नि. ए.डाक, दूसरापूर, रतेले में विमान राउट सरकार के/ केंद्रीय सरकार के उपक्रमों/ संस्थानों के पास सूचिबद्ध ठेकेदार को राजस्थान के पाय श्रेणी के समकूल हो, भी कार्य के लिए निविदा देवेंतु विवित अभियंता धारणा देरी के पश्चात पाय है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.10.2025 प्रातः 09.30 बजे से दिनांक 26.10.2025 प्रातः 06.00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड की जा सकेगी। निविदा दिनांक 27.10.2025 को सांय 3 बजे ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यों की अनुमानित लागत, धरोहर प्रकृति, प्रोसेसिंग फिल व कार्य पूर्ण करने की अवधि तथा अन्य शर्तें

<https://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखें।

NIB code: WRD2526A0465
 UBIN No:- WRD2526WSOB01213

अधिशाषी अभियन्ता
नर्मदा नहर परियोजना
खण्ड द्वितीय सांचौर

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि खण्ड राजगढ (चुरू)**

क्रमांक: 1567-1577

६१-निविदा सूचना संख्या: 08/2025-26 दिनांक: 08.10.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से हलसीरा राजगढ जिला चुरू में निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत स्वयंसेवकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत सांठगोष्ठी/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत स्वयंसेवकों, जो क्रि राजस्थान सरकार के उपयुक्त कार्य के संदर्भकों के समझद हो, सं निर्धारित प्रश्न में से उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र द्वारा ज्ञान लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आर पी डब्ल्यू ए 100 की शर्त लागू नहीं है। निविदा के संबंधित विवरण वेबसाइट विभागीय वेब <http://dpr.rajasthan.gov.in/tenders.asp> एवं वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> <http://www.pwd.rajasthan.gov.in> तथा <http://sppp.raaj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

NIB No. PWD2526WSOB3A783

UBN No.- 1. PWD2526WSOB14321, 2. PWD2526WSOB14322, 3. PWD2526WSOB14323, 4. PWD2526WSOB14324, 5. PWD2526WSOB14334, 6. PWD2526WSOB14336

7. PWD2526WSOB14340, 8. PWD2526WSOB14343

अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि खण्ड राजगढ (चुरू)

**कार्यालय श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया,
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक./लेखा./श्रीसामरं/2025-26/1847 दिनांक-16.10.2025

-: ई-निविदा सूचना -18/2025-26:-

श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया द्वारा DTD waste Collection, Transportation, Sweeping & Cleaning, IEC etc Work in Mandafiyavillage (उ.प्रा.राजि00 लाख) हेतु कृपित, अनुभवी व योग्य सर्वेकारों से निविर्त प्रपत्र में ई-प्रोक्चरमें प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in/> के माध्यम से डिग्लिभाका पडत में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं का क्विडिक्चर <http://eproc.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> पौर्टल पर उपलब्ध हैं। निविदाओं के ऑनलाइनईडन उअत पडतल पर दिनांक 18/10/2025 को प्रातः 09:00 बजे से उपलब्ध होइका दिनांक 06/11/2025 यअतः 06.00 बजे तक ऑनलाइनईडन जाका फिनाईल जा सकत है। ही जाका से सम्बन्धित सुलुका/प्रात निविदा प्रपत्र में अंकित मंदिर मण्डल के बडे खत में ही जाका कावना होगी। प्रात निविदाओं की तसनीकी निविदाई दिनांक 07/11/2025 को अपराह्ना 12:00 बजे ऑनलाइनईडन खोली जावेगी।

UBN-SMM2526SLOB000070

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल**

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक-स्तर/ 2025-26 / 14572 दिनांक: 16.10.2025

ई-ऑक्शन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा निर्मित विश्वम्री शस्त्री चौपाटी की दुकान संख्या 01 से 09 मग चौपाटी एरिया करारर पर दिया जाना है। जिसर लिए उपररुक्त सभम श्रीकी की फर्म ई-ऑक्शन मर आवंरित की जाती है। उरत ई-ऑक्शन र पीएनजीकारर र शरत प्राधिकरण कार्यालय म एंव sso.rajasthan.govt.in Urban Services > Citizen Service > E-Auction पर पी देखी जा सकती है।

क्र. सं.	चौपाटी का नाम	न्यूतन प्राथमिक बोली राशि (प्रति दुकान / माह)	अमानत राशि
1.	विश्वम्री शस्त्री पाक चौपाटी	8000.00 रु	15000.00 रु

लोहारग घना चौपाटी विश्वम्री शस्त्री पाक भरतपुर व्यवसायिक दुकान मर ओपन रेसरर अरथारी रजिस्ट्रर/अमानत राशि/दस्तावेज, अपलोड करने की मरकबी दिनांक 21.10.2025 प्रातः 11:00 बजे ऑनलाइन से दिनांक 31.10.2025 प्रातः 06:00 बजे की ए ऑनलाइन नालीम दिनांक 31.10.2025 प्रातः 11:00 बजे दिनांक 04.11.2025 प्रातः 11:00 बजे तक की जायेगी।

स.सं.संवाद / सी / 25 / 12465
सचिव
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर



कृषि अनुसंधान केन्द्र

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)
दादोद रोड, बोखेत फार्म, बाँसवाड़ा (राज.)

दिनांक : 13/10/2024

निविदा सूचना (वर्ष 2025-26)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय हेतु निम्नलिखित सामग्री क्रय करने हेतु अत्यन्तकालीन निविदायें बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27/10/2025 तक प्रातः 01.30 बजे तक है तथा निविदा उसी दिन निविदादाता के सम्मुख दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। निविदा संबंधित जानकारी कार्यालय समय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। SPP पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.स.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा
1	Certified Seed • Maize hybrid DMRH-1308 (4/5 kg per bag) दरे प्रातः 09 बजे कर अनुसार देंवें। दरे बोखेत, फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) पर आपूर्ति के अनुसार देंवें।	20-30 qt

हस्ताक्षर/-
संभागीय निदेशक अनुसंधान

State Institute of Hotel Management Village Narapura, Near Thermal Power Station, Dholpur (Raj.) E-mail:-sihmdholpur@gmail.com, Phone no:- 05642-999088			
Ref. SIHMDholpur/2025/152		Date: 14/10/2025	
E-Bid Notice			
SIHM Dholpur under Department of Tourism, Govt. of Rajasthan invites e-Bid for the purchase of equipment for the institute for FY 2025-26.			
Bid Reference Number:		SIHMDHO/2025/149	
Bid Submission Date & Time <u>28/10/2025, 2.00 PM</u>	Bid opening Date & Time <u>28/10/2025, 4.00 PM</u>	Approx. Bid value	Bid Document Fee
NIB Details/ UBN No.		TOU256_A0033	
Name of Work		Supply and installation of Housekeeping Heavy & Light Equipments with Linen and furnishing items	
25 Lakhs		Rs. 1000/-	
Interested bidders eligible as per qualification criteria may submit their response to the Bid through e-procurement portal www.eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in. The other details of tenders may be downloaded from official website of tourism department i.e. www.tourism.rajasthan.gov.in and for further enquiries contact on above address.			
DIPRIC/15379/2025		Principal/Member Secretary	

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मोहनगढ़
 नई अनाम भवन, रास्ता वाला क्षेत्र, नाम मोहनगढ़ तालीक जिलासरदार
E-Mail id : kums.mohangarh@rajasthan.gov.in Website : <http://www.ramb.rajasthan.gov.in/>

क्रमांक :- स्कूउअस/2025-26/राजकाष्ठ 18357897 दिनांक :- 15/10/2025

संशोधित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, मोहनगढ़ नाई नाम योजनातर्जन राजकाष्ठ रेफरेंस नं. 18177475 दिनांक 07/10/2025 द्वारा ई-निविदा दिनार 16.10.2025 एवं ई-असेसिंग तीव्र के उपकरण के लिए राजकाष्ठ रेफरेंस नं. 18177468 दिनांक 07.10.2025 एवं राजकाष्ठ रेफरेंस नं. 18177475 दिनांक 07/10/2025 द्वारा ई-निविदा दिनार 16.10.2025 एतदनुसार अर्मातिनी की गयी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्वेगित किया जाकर निम्नानुसार निर्धारित समयानुसार प्राप्ता एवं खोली जागीगी।

Sr.	Bid Title	Date & Time of Downloading/ Uploading of bid Document	Date & Time of online Submission of Bid/Document	Last Date of Submission of DD/Bankers Cheque in the office of KUMS Mohanagarh	Date & Time of Technical Bid Opening
1	IT EQUIPMENTS	07.10/2025 To 24.10.2025	24.10.2025 06.00 PM	27.10.2025 11.00 AM	27.10.2025 12.30 PM
2	OIL TESTING MACHINE	07.10.2025 To 24.10.2025	24.10.2025 06.00 PM	27.10.2025 11.00 AM	27.10.2025 01.00 PM

सचिव

राज.संवाद/सी/25/12409 **कृषि उपज मण्डी समिति मोहनगढ़**

गढ़ गणेश पूजन के साथ होगा भव्य शोभायात्रा का आगाज़

बूंदी । आगामी बूंदी महोत्सव 2025 एहं मनमोहक शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो बूंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास की झलक प्रस्तुत करेगा। गढ़ गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ इस सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसके लिए प्रशासन व संबंधित विभाग उत्साह के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। शोभायात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की शुक्रवार को उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा ने समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग की पूरी तरह से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

■ **उपखंड अधिकारी ने तैयारियों की बैठक ली**

और मार्ग में कहीं भी झूलते हुए बिजली के तारों को तुलत दुस्तर करवाया जाए, ताकि आयोग जन में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए।

शोभायात्रा परंपरा और आधुनिकता का अन्तु संगम होगा। इसमें परंपरिक रासनाथी वेशभूषा में सजी-धरि बालिकाएं और महिलाएं सिर पर मंगल बांध देंगे। शोभायात्रा ऐतिहासिक गढ़ा पैलेस से प्राप्र होकर शहर के मुख्य मार्गों— सदर बाजार और कोट रोड से होते हुए पुलिस पेटे टाउंड पर आकर संपन्न होगी। यात्रा मार्ग में विभिन्न धर्मों—संभ्रदायों, स्वयंसेवी संस्थाओं औ भीषण शहरवासियों द्वारा परग-पर पुष्प वस्त्र का भव्य स्वागत किया जाएगा, जो बूंदी

सरकारी संपत्ति के स्वरूप को भी बदला

सायला, (जिस)। पंचायत समिति सायला की ओर से किराये पर आवंटित दुकान संख्या 13 व 14 के किरायेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले 33 माह का किराया जमा नहीं करवाने से समिति को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किरायेदार न केवल किराया नहीं चुका रहे हैं, बल्कि उन्होंने अनुबंध की शर्तों का भी खुला उल्लंघन किया है।

जानकारी के अनुसार सायला पंचायत समिति की दुकान संख्या 13, 14 को खेतेश्वर मिश्रात्र भंडार के मालिक रावल सिंह के नाम आवंटित है, और दुकान संख्या 14, को कविता केकर के नाम आवंटित है। इन दोनों दुकानों का जनवरी 2023 से सितंबर 2025 तक यानी पूरे 33 माह का किराया बकाया है। किरायेदार रावलसिंह को आवंटित दुकान संख्या 13 का प्रतिमाह किराया 4,250 रुपये के हिसाब से कुल 1,40,250 रुपये बकाया है। जबकि किरायेदार कविता केकर को आवंटित दुकान संख्या 14 का प्रतिमाह किराया 4,350 रुपये के हिसाब से कुल 1,43,550 रुपये बकाया है। इस तरह, दोनों दुकानों पर पंचायत समिति का 2,83,800 रुपये का भारी-भरकम किराया बकाया चुका रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पंचायत

जल संसाधन विभाग
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, क्षेत्रीय उद्योगशाला खण्ड, नर्मदा नहर परियोजना, सांवर
 क्रमांक/लेखा/निविदा 2025-26/1133-1144 दिनांक 14/10/25

नौलासी सूचना संख्या 01/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी और से बाह्यपरम अनुमोदणी इस्तेमालक मण्योनी हेतु जैसी है कि के आधार पर अधिकतम पर दिनार 10.11.2025 को दोपहर 2:00 बजे से खुली बोली आमंत्रित की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित विवरण राखें दिनांक 10.11.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उमा कवाकर पञ्जीकरण रजिस्ट्रार प्रांत के जे सांको। नौलासी से सम्बन्धित अनुमति निम्न / शर्तें विभागों वेबसाईट : <https://water.rajasthan.gov.in> व <https://nldpr.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

अधिशाषी अभियन्ता
क्षेत्रीय उद्योगशाला खण्ड, न.न.प. सांवर
 मो. 7425981959

DIPR/C/15410/2025

कार्यालय नगरपालिका महवा (दौसा) राज०
EMAIL:-nagarपालikamahwa@gmail.com **फोन नं :- 07461 284005**
क्रमांक न.पा.म / 2025-26 / 738 **दिनांक- 15.10.2025**

-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिका महवा द्वारा Renovation Work Of SDM कार्य काय की निविदा आमंत्रित की गई है जिसका निविदा दायित्व नं. (DLB2562SWRC21105), (DLB2562SWRC21879) (DLB2562SWRC21880), (DLB2562SWRC21881), (DLB2562SWRC21883) (DLB2562SWRC21884), (DLB2562SWRC21886) (DLB2562SWRC21887), (DLB2562SWRC21888) है। निविदा सूचना एवं सभी राजस्वगत उपकरण फाइल की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

राज.सहाय.प.म / 25 / 12497

अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका महवा

Rajasthan State Hotels Corporation Ltd.
(A Govt. of Rajasthan Undertaking) Hotel Khasa Kothi, M.I.Road, Jaipur
Tel. No. 0141-2372118, Email-eds.shc@rajasthan.gov.in

No. - F-2()/Accts./Bid/RSCHL/2025/569-3 Date - 16/10/2025

E-BID NOTICE

E-Bids are invited up to 06.11.2025 from the eligible bidders for the procurement of Human Resource services for the Hotels of Rajasthan State Hotels Corporation Limited (RSCHL) for the period of one year. Detailed bid document can be downloaded from web site www.sppp.rajasthan.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in.

UBN : SHC256SLOB000035

Raj.Samwadi/CS/25/12457

Executive Director (F&A)

कार्यालय नगर निगम जोधापुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोतोटेकिन कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

इ-गानविदा सूचना
U. B. No. DLB2526GLOB21957
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा के Tata कम्पनी के वाहनों / मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स अफ़ीस एवं रियरविंग कार्य ठेक दो वर्ष के लिए विनिर्माता / अधिकृत विक्रेता / ISC रजिस्टर्ड फर्मों से ई-गानविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की वित्तु शर्तें www.eproc.rajjasthan.gov.in, www.isg.rajjasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
 आयुक्त
 राज.संवा.प / सी / 25 / 12459
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com **Phone no. 01568-222419**
क्रमांक :- न.प.सु/ विकास कार्य/ 2025 / 7153 **दिनांक :- 15/10/2025**

ई-निविदा सूचना 2025

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सहान श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा प्रसारक 27.10.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों के वेबसाईट www.sppprai.gov.in पर डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppprai.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक- (DLB2526WSR0621817) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ़

राज.संवाद/श्री/ 25/ 12431



RajCOMP Info Services Limited (RISL)

C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL द्वारा निम्न ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

NIB No / Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost/EMD	Start of sale / Last date
F4.3 (633)/RISL/Tech/ 2025/4253 Dated: 17/10/2025 UBN: RIS2526SL0B00042	RFP for Selection of Agency for O&M of Integrated IT Solution (RJRERP) for IT Enablement of Various PSUs Under the Govt. of Rajasthan.	Rs. 18 Crore / Rs. 36.00 Lakh	17.10.2025 10.11.2025

विस्तृत जानकारी हेतु इन लिंक्सों पर समक करें - <http://risl.rajasthan.gov.in>
<http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://doitc.rajasthan.gov.in> and
<http://eproc.rajasthan.gov.in>
Raj.Samwad/C/25/12442

Managing Director, RISL

म के साथ होगा ब्रा का आगाज़

और आधुनिक विकास की झलक प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों

को सांप्रदायिक सौहार्द और मेहमाननवाजी को मिसाल पेश करेगा। शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियां होंगी। इन झांकियों के माध्यम से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण गाँव अधिग्रहण के तहत जिले के जिले चर्चित पांच विशेष उपपार्कों के लिए शोभायात्रा भी आमजन तक पहुँचाई जाएगी, ताकि स्थानीय उपपार्कों को बढ़ावा मिल सके। बूंदी उत्सव समिति सदस्य पुरुषोत्तम लाल पारीक शोभायात्रा में आमजन की अधिकता के भागीदारों के लिए प्रयास तेज करने की बात कही। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक अरूण कुमार, तहसीलदार अर्जुनलाल मोदी, जिला परिवहन अधिकारी सोमिया शर्मा, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक धनराज पारीक, एडवोकेट राजकुमार दधीच, पुरुषोत्तमलाल पारीक, कृष्ण कान्त रावौर, रविन्द्र रायचंद एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हो भी बदला

क्र. सं.	सूचना संख्या मय दिनांक	कार्य का नाम
1	Rajkai Ref Nos 18269888Date 12.10.2025	Construction of stone boundary WALL 1000 Hight 1.82 Mtr. at NAK Kesharbagh wildlife Vn District-Dholpur
2	Rajkai Ref No 18291358 Date 12.10.2025	Constribution of Animal Ill at Nake Kesharbagh Wildlife Vanvihar Dhol District-Dholpur

तिवारी को दीर्घ सेवा अलंकार सम्मान	क्रमांक-लेखा/क्रय/2025-26/2557 इस चिन्तिरसावय में जारी अँगनाइन योली संख्या 01 उक्त निविदा सं निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>आईएम का नाम</th></tr> </thead> </table>	क्र. सं.	आईएम का नाम
क्र. सं.	आईएम का नाम		

बजट, मंड अग्रोकिच एवं सदरस्य सचिव अग्र.उप.अग्र.		
1	New MGPS line ki Old MGPS o2 Line attach at J.K. Ion hospital Kola. (AS per attach specification) UBN NO. CMK2526GLOB000144	
2	चिकित्सालय के बल्स सेक्टर में विविधता पाजाना एक्सजॉन्ट हेतु रद सॉडिया डिवाइस UBN NO. CMK2526GLOB000145	
3	चिकित्सालय में पुराने 8 नए पर्सिस् एवं बल्स बैंक में सर्वश्रेष्ठ कर्ज आभूति हेतु रद सॉडिया UBN NO. CMK2526GLOB000146	
DIPRC/15407/2025		
कार्यालय क्रमांक :- डिप्र/स्व/रहो/2025राजकाज रे. 184107 विस्तृत ई कार्यालय जिला परिषद बूंदी के विभिन्न अभाग कि ओपरेशन उपकरण कावते हेतु पंजीकृत बाधक निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राशन एवं प्रसन्नक अतिथिगत, 1958 या दृष्टिगत पाठन विदेशी प्रसन्नक अतिथिगत प्रक्रिया के तहत अतिथिगत निवर्तन के		
क्र. सं.	बोली का विवरण नमन संसाधन आपूर्ति हेतु 1. कार्यालय जिला परिषद बूंदी के विभिन्न अनुभागों में 11 प्रतिशत कम्प्यूटर ऑपरेटर रद 2 प्रतिशत राशन वितरण सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से तेसे बाबत	अनुमानित लागत राशि बाबत 19.50 लाख
निविदा की विस्तृत शर्तें एवं जानक अथवा कार्यालय जिला परिषद बूंदी (राज.) UBN NO. :- ZBD2526GLOB0004 राज.संसाधन निधि/25/12502		

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन सूची					
Phone: 02952-22313					
क्रमांक-अधी. अभि. /वृत्त/राज./ 2025-26/3294					
ई-निविदा सूचना संख्या (NIB NO. P. राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित निर्माण/आपूर्ति के लिए)					
क्र.सं.	निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनु. लागत (लाखों में)	निविदा फीस	रसु. फीस
01	76	WORK SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR PANALATT VARIOUS WATER SOURCE IN ADBADAREDA CLUSTER MLA CONTIGENCY RAJASAMANDD UNDER DMFT 16 GC BLOCK RAJASAMAND, DISTRICT RAJAMAND WITH 2 YEAR DLP	97.92	1500	1500
02	77	WORK SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR PANALATT VARIOUS WATER SOURCE IN KELWA CLUSTER MLA CONTIGENCY RAJASAMANDD UNDER DMFT 16 GC BLOCK RAJASAMAND, DISTRICT RAJAMAND WITH 2 YEAR DLP	117.45	2000	2000
03	78	WORK SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR PANALATT VARIOUS WATER SOURCE IN KUNWARIYA CLUSTER MLA CONTIGENCY RAJASAMANDD UNDER DMFT 16 GC BLOCK RAJASAMAND, DISTRICT RAJAMAND WITH 2 YEAR DLP	63.43	1500	1500
04	79	Construction of Open well GLSR and Providing Laying jointing of Pipelinewith Solarization at Source Under DMFT 16th GC with 1 year Defeat Liability Period at village- Dabkuriya GP Koyal Block Kumbhalgarh, District Rajasmand	66.67	1500	1500



कायलय नगर निगम, जयपुर हैरिटेज
(पुनरा प्रभुस सुवचना, इकनमा के पीछे, जयपुर)

दिनांक : 16/10/2025
दिनांक : 17/10/2025

क्रमांक : एक-25()/आ.आ.जीए/निविदा/2025/460
क्रमांक : एक-13()/स्टेटेड.राज्वा/हैरिटेज/निविदा/2025/200

ई-निविदा सूचना संख्या 90 से 102/2025-26 तक
ई-निविदा सूचना क्रमांक 14/2025-26

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के विभिन्न कार्यों हेतु पंजीकृत फर्म से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmunicipalheritage.gov.in व राजस्थान सरकार के पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> के UBN No. : JMC25GWSOB01800, 01801, 01802, 01803, 01804, 01805, 01806, 01807, 01808, 01809, 01812, 01814, 01816, JMC25GWSOB01824 पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर
ग्रास कान्फर्सरी, खांतीपुरा रोड, जयपुर
Email ID:dfosouthjr@gmail.com, Phone No.0141-2350061
दिनांक:- क्रमिक: एक 07 (12) स्टोर / अर्जन 02/25-26/

NOTICE INVITING E-BID (Tender No. 23/2025-26)

(UBN No FOR2526WS0B02695 (NIB No FOR2526A1994)

राजस्थान राज्य सरकार में पर्यावरणीय अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत रेंज फागी अर्पित क्षेत्र एवं एच. 52 जयपुर से देवली खंड वन्यजंगल संख्या 03 किमीटर पर 27 डिसेंबर 2025 तक दोनो साइड इल्ट 59905 रु०मी० फैसिंग आर. सी. सी. पोस्ट लगाकर बाखुड वायर व फैसिंग जाती लगाने एवं वन्य समस्त सामग्री सहित लगाने का कार्य हेतु अयुक्त श्रेणी में एंजीकर सावजनिक निर्माण विभाग व उपर सरकारी कर अधिकांश समाने दो राजस्व सरकार के ए व बी श्रेणी के निर्माण कानून के संबंध में से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

Sr. No.	S. Items	Estimated Cost	Document Bid Fees	BRIEL Processing Fee
1.	Bid Submission with RCC Post including barbed wire, cost of material, fixing, etc. under Phagi Range	1.83 Crore	Rs 2000/-Egras Budget head- 0075-00-900-502-51	Rs 2000/-Egras Budget head- 8658-00-102-16-03

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	Bid Submission Start Date	13 OCT 2025	06.00 PM
2.	Bid Submission End Date	24 OCT 2025	5:00 PM
3.	Last date of Submission of Hard Copy	24 OCT 2025	06:00 PM
4.	Technical Bid Opening Date	27 OCT 2025	11:00 AM
5.	Financial Bid Opening Date	To be announced after Technical Evaluation.	

निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड, एवं <http://proc.rajasthan.gov.in> पर <http://sppa.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। तथापि निविदा के संबंध में संशोधन वांछित होने पर उपर वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

(वी. के.लन कुमार) IFS
उप वन संरक्षक, जयपुर

DIPRC/15359/2025

कायलिया उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य, धौलपुर						
महिला पुलिस थाने के पास हाइमिन बॉर्ड पुरानी छावनी धौलपुर पिन कोड 328001				Email ID- dcfwl.ncs.forest@gmail.com		
क्रमांक- एफ/1/उस/वन्यजीव/राचउप/2025-26/2960				निविदा सूचना		दिनांक-14-10-2025
क्र. सं.	सूचना संख्या मय दिनांक	कार्य का नाम	निविदा (बोली) प्रारम्भित एवं अन्तिम करने की अंतिम समय एवं दिनांक	UBN NO.	अनुमानित लाखों में	निविदा संख्या
1	Rajyak Ref Nos 18295888Date 12.10.2025	Construction of stone masonry boundary WALL, 1000 mTR. Hight 1.82 Mtr, at Naka Kesharbagh wildlife Vanvihar District-Dholpur	11.00 AM 27.10.2025	FOR2526 WSOB02714	40.00	47/2025-26
						एक मुख्य बैटिक समाचार पत्र और चार हप्ता या इससे अधिक प्रतियों के परिधानित बाला एक राज्य सचिव मुख्य बैटिक समाचार पत्र।
2	Rajyak Ref No 18291358 Date 12.10.2025	Constrixtoprm of Anicut Type III at Naka Kesharbagh of Wildlife Vanvihar Dholpur District-Dholpur	10.00 AM 27.10.2025	FOR2526 WSOB02715	6.50	48/2025-26
						एक क्षेत्रीय बैटिक समाचार पत्र

कार्यालय अधीक्षक जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा संलग्न राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा (राज.)							
क्रमांक-लेखा/क्रम्य/2025/26/2557			दिनांक-01-10-2025				
इस चिकित्सालय में जारी ऑनलाइन योगी संख्या 05/2025/26/2551 दिनांक 29.09.2025 आमंत्रित की गयी है। जिसकी समयावधि में लिफ्टिफिकेड युटो होने के कारण उन निम्नलिखित से निम्नाधारित संशोधन किया जाता है।							
क्र. सं.	आईटी का नाम	कार्य की अनुमानित लगत वार्षिक	बोली शुरूक	घरोहर (EMD) राशि रु.	प्रि-बिड मीटिंग	ऑन लाईन बोली फाउं मिलने व जमा कराने की तिथि, समय	
ऑनलाइन बोली खोलने की तिथि (तकनीकी बिड)							
बजट मद अग्रहीक्षक एवं सदस्य सचिव आर.एम.आर.एस.							
1	New MGPS line से Old MGPS o2 Line attach at J.K. Ion hospital कोटा (AS per attach specification) UBN NO. CMK2526WSOB00144	4.76 लाख	500/-	9520/-	16.10.25 दोपहर 1.00 बजे	06.10.2025 से 27.10.2025 समय 5.00पी.एम.	28.10.25 समय 1.30 पी.एम.
2	चिकित्सालय के बल्स सेक्टर में अग्रिहोष पाजमा एक्सजेंज हेतु दर संविदा द्विवार्षिक UBN NO. CMK2526GLOB00145	180 लाख	2000/-	360000/-	16.10.25 दोपहर 1.00 बजे	06.10.2025 से 27.10.2025 समय 5.00पी.एम.	28.10.25 समय 1.30 पी.एम.
3	चिकित्सालय में पुराने व नए पॉर्सर एवं बल्स बैंक में संपर्क करवाई आयुर्विज्ञान हेतु दर संविदा UBN NO. CMK2526GLOB00146	135 लाख	2000/-	2.70/-लाख	16.10.25 दोपहर 1.00 बजे	06.10.2025 से 27.10.2025 समय 5.00पी.एम.	28.10.25 समय 1.30 पी.एम.

DI/PRC/17540/172502

अध्यक्ष, ज.ऊ. लानतगुट एवाकशुजाकत्सालय, काठमाडौं

दिनांक :- 17/10/2025

कार्यालय जिला परिषद, बुन्दी (राजस्थान)

क्रमांक :- जियव/स्टोर/2025राजकाज र. 18417015

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या - 04/2025-26

कार्यालय जिला परिषद बुन्दी के विभिन्न अनुभागों में एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस (कार्य आधार) पर प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रशिक्षित वाहन चालक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत बौलीदाता/सेवेदार, जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमान एवं उभयल) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाक (GST), अपेक्षार (PAN) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन निविदा के माध्यम से निम्न विवरणानुसार ई-बोली (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत रु.	बोली प्रतिनियुक्ति राशि रु.	निविदा प्रपत्र शुल्क	RSL प्रोसेसिंग शुल्क	बोली दरतावेज डाउनलोड शुरू करने की तिथि व समय	बोली दरतावेज अपलोड कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1.	मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा:- कार्यालय जिला परिषद बुन्दी के विभिन्न अनुभागों में 11 प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर व 2 प्रशिक्षित वाहन चालक सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से लेने बाबत	19,50,000 लाख	39,000 रु	500 रुपये	500 रुपये	17/10/2025 को सायं 5:00 बजे से	20/10/2025 को दोपहर 3:00 बजे तक	27/10/2025 को सायं 4:00 बजे

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं जानकारी <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> अथवा कार्यालय जिला परिषद बुन्दी (राज), से प्राप्त की जा सकती है।

UBN No.: ZBD2526SLOB00435, NIB : ZBD2526A0172
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राज.संवाद/सी/25/12502
जिला परिषद, बुन्दी

राज्य अर्थीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त राजसमन्द E-Mail: SECIRELE.RAJ.PHED@RAJASTHAN.GOV.IN दिनांक-10.10.2025									
ई-निविदा सूचना संख्या 76 से 79/2025-26 (NIB NO. PHE2526A3562)									
हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित निर्माण/आपति कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत मान्यता प्राप्त संवेदकों से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।									
अनु.लागत (लाखों में)	निविदा फीस	RSL फीस	धरोहर राशि 2%	धरोहर राशि 0.5%	ई-श्रेक पर निविदा उपलब्ध दिनांक	ई-निविदा भरने की अंतिम तिथि	निविदा (p.q) खोलने की तिथि	कार्य अवधि	यूबीएन नं.
ALLATION RIOUS DAREDA ICY IFT 16 DISTRICT DLP	97.92	1500	1500	195840	48960	4.10.25	21.10.25	24.10.25	06 MONTH PHE 2526WS OB07261
ALLATION RIOUS A ICY IFT 16 DISTRICT DLP	117.45	2000	2000	234900	58725	4.10.25	21.10.25	24.10.25	06 MONTH PHE 2526WS OB07262
ALLATION RIOUS ARIYA ICY IFT 16 DISTRICT DLP	63.43	1500	1500	126860	31715	4.10.25	21.10.25	24.10.25	06 MONTH PHE 2526WS OB07263
ALLSR g of Source 1 year age- mand	66.67	1500	1500	133336	33334	4.10.25	21.10.25	24.10.25	06 MONTH PHE 2526WS OB07264

● ● ● ●

PIMS CITY HOSPITAL

A MULTI SUPER-SPECIALITY HOSPITAL

उदयपुर के दिल में,
स्वास्थ्य की नई
धड़कन।

अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक उपचार और
विश्वसनीय सेवाएं अब आपके शहर में।

OPEN NOW



डॉ. नरेंद्र मल
न्यूरोसर्जन



डॉ. राजेश खोईवाल
न्यूरोलॉजिस्ट



डॉ. मनीष भट्ट
यूरोलॉजिस्ट



डॉ. बकुल गुप्ता
नेफ्रोलॉजिस्ट



डॉ. जे. के. छापरवाल
फिजिशियन



डॉ. बी. एल. कुमार
ऑर्थोपेडिक सर्जन



डॉ. सचिन जैन
ऑन्कोलॉजिस्ट



डॉ. श्वेताभ पुरोहित
पल्मोनोलॉजिस्ट

विशेष ऑफ़र

31 अक्टूबर तक

निःशुल्क
ओपीडी

MRI
50% छूट

ब्लड टेस्ट
50% छूट

सर्जरी
25% छूट

कीमोथेरापी
20% छूट

सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं

- ऑन्कोलॉजी
- ओन्को सर्जरी
- कार्डियोलॉजी
- न्यूरोलॉजी
- नेफ्रोलॉजी
- पीडियाट्रिक सर्जरी
- कार्डियक सर्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- ग्रेस्ट्रोएंटेरोलॉजी
- यूरोलॉजी
- प्लास्टिक एवं बर्न सर्जरी
- रेडियोथेरेपी

जनरल सुविधाएं

- जनरल मेडिसिन
- मनोरोग चिकित्सा
- टी.बी., चेस्ट एवं श्वास रोग
- नेत्र रोग
- प्रसूति एवं स्त्री रोग
- दंत चिकित्सा
- पेन मैनेजमेंट क्लिनिक
- जनरल एवं
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
- हड्डी एवं जोड़ रोग
- नाक, कान, गला
- त्वचा एवं चर्म रोग
- बाल चिकित्सा
- रेडियोलॉजी: सीटी,
एमआरआई, एक्स-रे

सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं - 📞 7766-80-7766

✉ care@pimscityhospital.com 📷 /PIMScityhospital

📍 Near Solitaire Garden, Meera Nagar, Udaipur 🌐 www.pimscityhospital.com


1.25M
 CELEBRATING
 125 MILLION CUSTOMERS

भरोसा सोने का खरा

Splendor+

— FILL IT. SHUT IT. FORGET IT. —



GST बेनिफिट्स
₹6 289

नई
एक्स-शोरूम
कीमत
₹74 202*

इंस्टेंट
डिस्काउंट
₹10 000*
तक

कम
डाउन पेमेंट
₹1999*

आप भी शुरू करें
अपनी खुशियों का सफ़र

5 crore+
HAPPY
SPLENDOR
CUSTOMERS

Splendor+
WORLD'S
NO.1
MOTORCYCLE



Hero
GoodLife

जीतने का मौका
100%
कैशबैक
और भी बहुत सुनिश्चित बेनिफिट्स*

Additional Offers on
Flipkart
amazon.in

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. 5 crore customers as per the cumulative dispatch numbers of the Splendor family series of motorcycles till March 2025. *Finance offers are at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice. #Limited period offer, T&C apply. *Ex-showroom prices are applicable in Rajasthan.

TOLL FREE
1800 266 0018

SCAN TO
KNOW MORE



अधिकृत डीलर : **बीकानेर:** राजाराम धारणिया हीरो, गोगा गेट सर्किल के पास, 9289922708 **करण हीरो**, म्यूजियम सर्किल के पास, 9289922528, राजाराम धारणिया ऑटोमोबाइल्स एक्सटेंशन काउंटर : अनाज मण्डी गेट के सामने 7229822929, 8048243279, वाटर वर्क्स के सामने, कालू रोड, लूणकरणसर, 8000294880, श्री गंगानगर रोड़, 7428598938, एसोशिएट डीलर: **बीकानेर:** ब्रज ऑटोव्हील्स : एनएच 15, चुंगी चौकी के पास, जैसलमेर रोड़, 9782400101, **राज ऑटोमोबाइल्स** (श्री डुंगरगढ़) 9414528983, **अर्जुनसर स्टेशन:** सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल्स, 8890636258, **बज्जू:** खीचड़ मोटर्स, 9468939229, **कातर छोटी:** लिम्बा मोटर्स, 9782151100, **सांडवा:** बेनीवाल ऑटोमोबाइल्स, 9414422944, **नोखा:** धारणियाँ मोटर्स, 7428049134 (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) **बीकानेर:** राजाराम धारणिया हीरो, सुभाष पेट्रोल पंप के सामने जयपुर रोड, बीकानेर, 7300056081.